Number of Jobs under HKRN

Question no.6Sh. INDU RAJ (Baroda):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) the post wise number of people to whom job has been given under the Haryana KaushalRozgar Nigam;

b) whether any quota has been kept for any category; if so, the category wise details thereof; and

c) the category wise details of the benefits thereof?

Answer:SH.MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Ans:a) Sir, the post wise detail of persons deployed by HKRNL till date are placed at **Annexure-A.**

Ans:b) Sir, the criteria adopted for quota is as per the Clause 9 of Deployment of Contractual Persons Policy, 2022" dated 30th June 2022.;"The Reservation Policy states "*The reservation policy both vertical and horizontal, applicable from time to time for direct recruitment, shall also be followed by the Nigam at State Level and not at District Level. Further, at Job Role Level and not Job Role-wise. It being not a selection by way of written examination therefore, the provision of deployment of a candidate of reserved category on his own accord shall not be applicable. The overall strength of candidates of reservedcategory deployed in a Job Role at State level should not exceed the maximum limit of reservation. The roster shall be maintained year-wise, level of job role-wise and State wise instead of category of job role wise or District/Organisation wise. It is also clarified that in case of non-availability of suitable candidate(s) of horizontal category the suitable person of vertical category, if available, may be deployed by the Nigam. In case of non-availability of suitable candidate of specific category of the manpower of other category shall be deployed by the Nigam. It is not a regular appointment; therefore, no backlog shall be maintained in case of non-availability of suitable candidates of reserved category in a particular year"*

Ans:c) The Merit is prepared for all the categories according to the scoring criteria outlined in the "Deployment of Contractual Persons Policy, 2022". The percentage of reservation allocated to candidates of SC, BC(A), BC(B), and ex-servicemen deployed under the HKRN is as follows:

Caste Category	Fresh manpower	Porting manpower	Fresh (%)	Ported (%)
BC	3553	29288	27.05 %	27.69%
General	6870	44269	52.31%	41.86%
SC	2710	32190	20.63%	30.44%
Ex-servicemen	5	436	0.03%	0.41%

For all the aforementioned categories, the benefit is a relaxation of 5 years in the upper age limit for candidates belonging to reserved categories, as outlined in clause no. 8.4 of the Deployment policy. There are no other benefits.

…………………………

एच०के०आर०एन०एल० के अंतर्गत नौकरियों की संख्या

प्रश्न संख्या – 06श्री इंदु राज (बरौदा):

क्या मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि –

1) पदवार लोगों की संख्या जिन्हे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत नौकरी मिली है;
2) क्या किसी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण रखा गया है; यदि ऐसा है तो उसका श्रेणी अनुसार ब्यौरा; और
3) उनके लाभों का श्रेणीवार ब्यौरा ?

उत्तर: श्री मनोहर लाल,मुख्यमंत्री

क) महोदय जी, एच.के.आर.एन.एल द्वारा अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों का पदवार विवरण अनुबंध-ए में दिया गया हैं।

ख) महोदय जी, आरक्षण के लिए अपनाए गए मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित "अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022"दिनांक 30 जून2022की धारा 9 - आरक्षण नीति के अनुसार है(*"आरक्षण नीति अनुसार आरक्षण नीति का पालन जिला स्तर पर न होकर राज्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर¼वैरटिकल½ और क्षैतिज¼होरिजंटैल½ दोनों सीधी भर्ती के लिए समय समय पर किया जाता है। इसके अलावा, रोजगार की भूमिका के अनुसार न होकर बल्कि रोजगार की भूमिका के स्तर पर दिया जाता है । यह लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन नहीं है, इसलिए, एक उम्मीदवार की नियुक्ति का प्रावधान है, अपनी मर्जी से आरक्षित श्रेणी लागू नहीं होगी। राज्य स्तर पर रोजगार की भूमिका में नियुक्ति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या आरक्षण की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोस्टर को वर्ष-वार बनाए रखा जाएगा, रोजगार की भूमिका का स्तर- रोजगार की श्रेणी के बजाय, भूमिका के अनुसार या जिला/संगठन के अनुसार और राज्य वार होगी । यह भी स्पष्ट किया गया है कि, क्षैतिजश्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में ऊर्ध्वाधर श्रेणी के उपयुक्त व्यक्ति, यदि उपलब्ध हो, को नियुक्त किया जा सकता है। निगम द्वारा. विशिष्ट श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में निगम द्वारा अन्य श्रेणी की जनशक्ति को नियुक्त किया जाएगा। यह कोई नियमित नियुक्ति नहीं है; इसलिए, किसी विशेष वर्ष में आरक्षित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में कोई बैकलॉग नहीं रखा जाएगा"*)।

ग)"अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022" में उल्लिखित स्कोरिंग मानदंडों के अनुसार सभी श्रेणियों के लिए मेरिट तैयार की जाती है।अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सेवानिवृत अभ्यर्थियों को दिए गए आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित हैः

जाति श्रेणी	नई श्रमशक्ति	पोर्टिंग श्रमशक्ति	नई नियुक्तियां (%)	पोर्टेड (%)
बी0सी0	3553	29288	27.05 %	27.69%
सामान्य	6870	44269	52.31%	41.86%
ए0सी0	2710	32190	20.63%	30.44%
सेवानिवृत अभ्यर्थी	5	436	0.03%	0.41%

उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए,आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, जैसा कि नियुक्ति नीति-2022 की खंड संख्या 8-4 में उल्लेखित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ नही दिया जाता है

....